एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

विषय सूची

1.	**एपीडा की स्थापना**	**1**
1.1	निर्दिष्ट कार्य	1
1.2	परिवीक्षित उत्पाद	3
1.3	एपीडा प्राधिकरण का गठन	4
1.4	प्रशासनिक ढांचा	5
1.5	एपीडा के आभासी कार्यालय	6
1.6	एपीडा के विभिन्न गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण	6
2.	**प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य**	**8**
2.1	निर्यातकों का पंजीकरण	8
2.2	व्यापार सूचनाओं तथा पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण–पत्रों को जारी करना	8
2.3	चीनी (शर्करा) के आयात–संविदाओं का पंजीकरण	9
2.4	राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन	9
2.5	वित्तीय सहायता योजनाएं	11
3.	**निर्यात कार्य–निष्पादन**	**12**
4.	**महत्वपूर्ण उपलब्धियां**	**13**
5.	**अवसंरचना का विकास**	**15**
6.	**गुणवत्ता विकास**	**18**
7.	**उत्पाद क्षेत्रों की विकासपूर्ण गतिविधियां**	**19**
8.	**अन्तरर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता**	**26**
9.	**जैविक उत्पाद हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम**	**33**
10.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र के गतिविधियों सहित एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रियाकलाप**	**34**

1. एपीडा की स्थापना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना संसद द्वारा दिसम्बर, 1985 में पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई। यह अधिनियम (1986 का दूसरा) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II (खंड 3 (ii) 13.2.1986) में प्रकाशित 13 फरवरी 1986 की अधिसूचना द्वारा प्रभावी हुआ। प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्द्धन परिषद (पीएफआईपीसी) को प्रतिस्थापित किया।

एपीडा अधिनियम के अध्याय V धारा 21 (2) के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों नीति और कार्यक्रमों का एक वास्तविक और पूरा लेखा–जोखा प्रस्तुत करने वाला वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है ताकि उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सके।

कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण एपीडा की यह 26वीं वार्षिक रिपोर्ट है इसमें वित्तीय वर्ष 2012–13 का विवरण है।

1.1 निर्दिष्ट कार्य

कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (1986 का दूसरा) के अनुसार प्राधिकरण को निम्न कार्य सौंपे गए हैं:

क) सर्वेक्षण और व्यावहारिक अध्ययन के द्वारा संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूँजी में सहभागिता तथा अन्य अनुदानों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करके निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से सम्बंधित उद्योगों का विकास;

ख) निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना;

ग) निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के मानक और विशिष्टियां तय करना;

घ) बुचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों, वाहनों अथवा ऐसे अन्य स्थानों जहाँ ऐसे उत्पाद रखे या संभाले जाते हैं, में मांस एवं मांस उत्पादों का निरीक्षण करना जिससे कि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके;

ड.) अनुसूचित उत्पादों के पैकिंग में सुधार;

च) विदेशों में अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार;

छ) निर्यातोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना;

ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण पैकिंग विपणन अथवा निर्यात में प्रवृत्त कारखानों अथवा संस्थानों के स्वामियों अथवा अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले में निर्धारित किए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों से आंकड़ों का संग्रह करना और इस तरह संग्रह किए गए आंकड़ों अथवा उनके किन्हीं अंशों अथवा उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना;

झ) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना;

ञ) निर्धारित किए गए ऐसे अन्य मामले।

1.2 परिवीक्षित उत्पाद

एपीडा को निम्न अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन और विकास की जिम्मेदारी सौपी गई:

1.	फल, सब्जियां और उनके उत्पाद
2.	मांस और मांस उत्पाद
3.	कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
4.	डेरी उत्पाद
5.	कन्फेक्शनेरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
6.	शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
7.	कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
8.	मादक और गैर मादक पेय पदार्थ
9.	अनाज और अनाज उत्पाद
10.	मूंगफली तथा अखरोट
11.	अचार, पापड़ और चटनी
12.	ग्वार गम
13.	पुष्प कृषि तथा पुष्प कृषि उत्पाद
14.	जड़ी–बूटी तथा औषधीय पौधे

इसके अतिरिक्त एपीडा को चीनी के आयात को मानीटर करने की जिम्मेदारी सौपी गई है।

1.3 एपीडा प्राधिकरण का गठन

संविधि द्वारा निर्धारित
एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल है यथा:

- केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष;
- भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पदेन;
- योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है;
- संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोकसभा एवं एक राज्यसभा से चुना जाता है;
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केन्द्र सरकार के निम्न से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे:
  - (i) कृषि और ग्रामीण विकास
  - (ii) वाणिज्य
  - (iii) वित्त
  - (iv) उद्योग
  - (v) खाद्य
  - (vi) नागरिक आपूर्ति
  - (vii) नागर विमानन
  - (viii) जहाजरानी और परिवहन
- केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम के अनुसार बारी–बारी से नियुक्त किया जाता है।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सात सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगे
  - i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
  - ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
  - iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ
  - iv) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान
  - v) भारतीय पैकेजिंग संस्थान
  - vi) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद तथा
  - vii) काजू निर्यात संवर्धन परिषद
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बारह सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगे:
  - क) फल और सब्जी उत्पाद उद्योग;
  - ख) मांस, कुक्कुट और डेरी उत्पाद उद्योग;
  - ग) अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग;
  - घ) पैकेजिंग उद्योग;

केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि, अर्थशास्त्र तथा अनुसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

1.4 प्रशासनिक ढांचा

प्राधिकरण के अध्यक्ष

सम्पूर्ण वित्त वर्ष के दौरान श्री असित कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष पद पर बने रहे।

निदेशक

31 जुलाई 2012 को श्री एस. दवे निदेशक का पद भार छोड़कर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) में प्रतिनियुक्ति पर चले गये। शेष वित्तीय वर्ष हेतु उनका स्थान श्री आर. के. बोयल ने संभाला।

सचिव

श्री सुनील कुमार इस वित्त वर्ष के दौरान सचिव पद पर बने रहे।

एपीडा अधिकारी के खंड 7(3) में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

समीक्षा वर्ष के दौरान संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या 85 थी जबकि स्वीकृत स्टाफ की संख्या 124 है। एपीडा प्राधिकरण में कर्मचारियों को श्रेणी–वार ब्यौरा निम्नानुसार था

क)	सरकार में श्रेणी 'क' के पदों समकक्ष पद (अध्यक्ष, निदेशक और सचिव सहित)	22
ख)	सरकार में श्रेणी 'ख' पदों के समकक्ष पद	31
ग)	सरकार में श्रेणी 'ग' पदों के समकक्ष पद	24
घ)	सरकार में श्रेणी 'घ' पदों के समकक्ष पद	08

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण और उन्नति के मामलों की प्राधिकरण द्वारा भलीभांति देखभाल की जाती है। एपीडा में किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को कोई भी शिकायत बकाया नहीं है।

सरकार के मानदंडों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी ग्रेडों में कुल संख्या के 3 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। एपीडा की कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 124 है जिनमें से शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या 2 है। 3 प्रतिशत की अपेक्षा को आगे वाली भर्तियों में कर लिया जाएगा।

1.5 एपीडा में आभासी कार्यालय

एपीडा 26 वर्षों से कृषि निर्यात समुदाय को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। देश के विभिन्न भागों में मौजूदा निर्यातकों तक पहुँचने के लिए एपीडा ने अपने पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकार/एजेंसियों के सहयोग से 13 आभासी कार्यालय खोले हैं जो इस प्रकार हैं:– तिरुवंतपुरम (केरल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर), चंडीगढ़, इम्फाल (मणिपुर), अगरतल्ला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), चेन्नई (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), अहमदाबाद (गुजरात), भोपाल (मध्य प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा पणजी (गोवा)। एपीडा की सामान्य जानकारियां, पंजीकरण तथा वित्तीय सहायता योजनाओं की जानकारी इन आभासी कार्यालयों द्वारा उद्यमियों/संभावित निर्यातकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

1.6 एपीडा में विभिन्न गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण:

1. वर्ष 2012–13 में नवीनतम अधिसूचनाओं / व्यापारिक नोटिसों/सरकारी आदेशों/ गुणवत्ता मामलों तथा अन्य उपयोगी विवरणों से एपीडा की वेबसाइट को निरंतर अद्यतन बनाया गया।

2. एग्रीएक्सचेंज पोर्टल को विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के समावेशन द्वारा अधिक समृद्ध बनाया गया।

- देशों तथा उत्पादों पर अधारित वैश्विक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन में विश्व निर्यात में देशों तथा उत्पादों की तुलना में भारत की श्रेणीवार स्थिति दर्शाना।
- कृषि विनिमय के अर्न्तगत 23 प्रमुख कृषि पण्य पदार्थों अर्न्तराष्ट्रीय मूल्यों को एग्रा – नेट (सार्वजनिक लेजर) से सूचनाएं एकत्रित करके तथा उन्हें प्रति सप्ताह आधुनिकतम बनाने के पश्चात् प्रतिवेदन बनाने हेतु सुविधा भी निर्मित की गई हैं।
- एपीडा ने कृषि और संबंधित पण्य पदार्थों के आयात–निर्यात आंकड़ें भी अनुरक्षित करना आरंभ किया है। ये आंकड़ें डीजीसीआईएस से मासिक तथा वार्षिक आधार पर पूर्वक्रय किए जाते हैं तथा संसद में प्रश्नोत्तर हेतु अथवा एमईएस के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों को बनाने हेतु संकलित किए जाते हैं।

- एग्रीएक्सचेंज दैनिक सूचना–पत्र का परिचालन बढ़कर 20,000 हो गया है। नए उपभोक्ताओं में भारत तथा विदेशों में स्थित दूतावास, उच्चायोग एवं वाणिज्य दूतावासों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित है।

3. जैविक उत्पादों हेतु ट्रेसनेट प्रणाली को विभिन्न नवीन प्रयोक्ता अनुकूल विशेषताओं द्वारा समृद्ध बनाया गया है।
4. ग्रेप–नेट सॉफ्टवेयर द्वारा अंगूर निर्यात परेषण के प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क पर अधिक परिदान हेतु आनलाईन आवेदनपत्रों को जमा करने के लिए सुविधा बनाई गई है।
5. राजभाषा अधिनियम के पालन हेतु आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुल 110 अक्षर नवीन द्विभाषी सॉफ्टवेयर (यूनीकोड आधारित) क्रय किए गए तथा इन्हें एपीडा के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कम्प्यूटरों में संस्थापित किया गया।
6. मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु डीजीएफटी से जारी सूचना संख्या 28 (आरई–2012)/2009–14 को लागू करने हेतु, पीनेट, नेट सॉफ्टवेयर को आधुनिकतम बनाया गया तथा इसमें गैर–ई यू देशों को मूंगफली तथा मूंगफली उत्पादों के निर्यात को सरल बनाने हेतु प्रावधान किए गए। मलेशिया तथा ई यू देशों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के प्रचालन एवं परीक्षण हेतु निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप इस सॉफ्टवेयर में संशोधन किए गए हैं।
7. एपीडा में एक नया वेतन–प्रपत्र सॉफ्टवेयर क्रय तथा संस्थापित किया गया है। इस नवीन सॉफ्टवेयर में मासिक वेतन विनिर्माण, इपीएफ खाता–विवरण, डीए तथा अधिलाभांश परिकलन, आयकर एवं ऋण तथा अग्रिम इत्यादि से संबंधित आंकड़े अनुरक्षित करने हेतु विभिन्न विशेषताएं हैं।

2. प्राधिकरण की बैठकें तथा सांविधिक कार्य

वर्ष 2012–13 के दौरान एपीडा प्राधिकरण की 15 जून 2012, 20 नवम्बर 2012 तथा 31 जनवरी 2013 को तीन बैठकें आयोजित की गईं।

2.1 निर्यातकों का पंजीकरण

वर्ष 2012–13 के दौरान एपीडा में कुल मिलाकर 2538 निर्माताओं/व्यापार निर्यातकों का पंजीकरण किया गया।

2.2 व्यापार नोटिसों तथा पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण–पत्रों को जारी करना

बासमती चावल

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जारी किए गए आरसीएसी (बासमती चावल) के ब्यौरेः–

2012-13		
कुल आरसीएसी	मात्रा मीट्रिक टनों में	एफओबी मूल्य यूएसडी (मिलियंस में)
16069	3619.49	3805.86

2.3 चीनी के आयात संविदाओं का पंजीकरण

अध्याय–17 के आधीन चीनी के आयात हेतु विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के प्रावधानों के अनुसार कच्ची तथा संवर्धित, दोनों प्रकार के चीनी के सभी निर्यातकों का पंजीकरण किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान आरसीएसी पंजीकरण के ब्यौरे निम्न है:–

2012-13 (कच्ची चीनी)			2012-13 (सफेद / परिष्कृत चीनी)		
कुल आरसीएसी	मात्रा मीट्रिक टनों में	एफओबी मूल्य यूएसडी (मिलियंस में)	कुल आरसीएसी	मात्रा मीट्रिक टनों में	एफओबी मूल्य यूएसडी (मिलियंस में)
54	1356.16	661.33	152	56.40	31.49

2.4 राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

प्राधिकरण ने वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया। प्राधिकरण द्वारा संपन्न की गई कुछ गतिविधियां निम्न प्रकार है:–

1. वर्ष 2012–13 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गई।
2. वर्ष 2012–13 के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई।
3. राजभाषा अधिनियम के अनुच्छेद 3(3) के प्रावधानों को कार्यान्वित किया गया।
4. एपीडा में हिन्दी में कार्य करने हेतु अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए प्रेरक योजनाएं उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत वर्ष के दौरान हिन्दी में प्रभावशाली कार्य के लिए संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।
5. वर्ष 2012–13 के दौरान 14 से 28 सितंबर तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिन्दी को संप्रेषण की आम भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

6. एपीडा के त्रैमासिक पत्रिका 'अपेक्स अपडेट' का प्रकाशन हिन्दी में भी किया गया तथा इसे भारत के हिन्दी–भाषी क्षेत्रों में वितरित किया गया। विदेश स्थित भारतीय दूतावासों विभिन्न विभागों तथा निर्यातकों को भी यह वितरित की गई।
7. प्राधिकरण की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत को हिन्दी में अनुवादित करके उसे प्राधिकरण के सदस्यों के बीच वितरित किया गया।
8. दैनिक उपयोग हेतु प्रशासन के सभी मांगपत्र, बजट तथा वित्तीय प्रारूपों को द्विभाषी बनाया गया।
9. हिन्दी में नियमित विवरण–अंकन हेतु कर्मचारियों की सहायता के लिए सभी फाइल आवरणों पर द्विभाषी सामान्य प्रयुक्त वाक्यांशों को मुद्रित किया गया।
10. एपीडा में हिन्दी में शत–प्रतिशत कार्य करने हेतु आठ विभागों को अधिसूचित किया गया।
11. जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम, एचएसीसीपी मान्यता योजना, प्रयोगशाला मान्यता योजना एवं वित्तीय सहायता योजना को द्विभाषी बनाया गया है।
12. एपीडा बेवसाइट हिन्दी में उपलब्ध है तथा इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।
13. हिन्दी में कार्य करने हेतु यूनीकोड फॉन्ट में अक्षर नवीन साफ्टवेयर कम्प्यूटरों में संस्थापित किया गया है।
14. सभी कर्मचारियों को हिन्दी अक्षर–नवीन सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

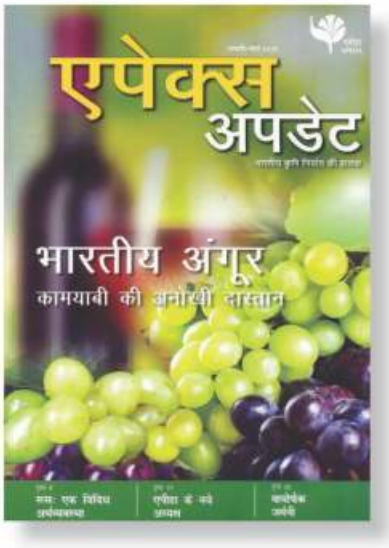

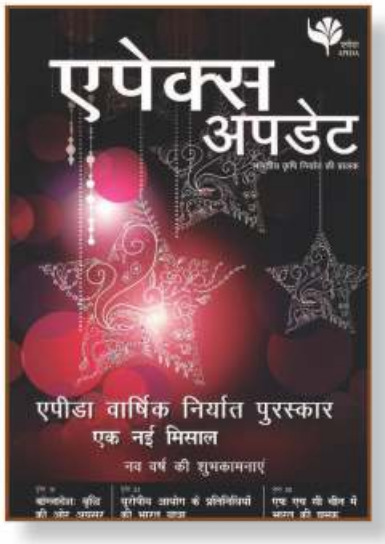

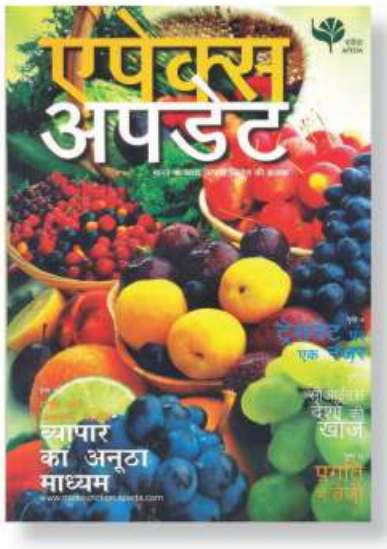

2.5 वित्तीय सहायता योजनाएं

एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे तथा गुणवत्ता उन्नयन के अतिरिक्त बाजार विकास में एपीडा का सक्रिय योगदान है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में एपीडा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है:–

12वीं योजनावधि के दौरान वित्तीय सहायता को चालू रखने के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3. निर्यात कार्य निष्पादन

अप्रैल–मार्च 2013 की अवधि के लिए एपीडा उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:

मूल्य (लाख रुपयों में)

उत्पादन समूह	निर्यात अप्रैल–मार्च 12	निर्यात अप्रैल–मार्च 13*	प्रतिशत में वृद्धि
पुष्पकृषि तथा बीज	65007.01	77265.51	18.86
फल तथा सब्जियां	542103.86	638709.25	17.82
प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां	378104.01	437209.59	15.63
पशुधन उत्पाद	1510745.69	2012611.38	33.22
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	2689899.84	3215994.32	19.56
गैर–बासमती चावल	866818.67	1441690.49	66.32
बासमती चावल	1545044.92	1939130.62	25.51
गेहूँ	102380.32	1048834.94	924.45
अन्य अनाज	547921.00	821722.30	49.97
कुल	**8248025.32**	**11633168.41**	**41.04**

*स्रोत–प्रमुख उत्पादों पर डीजीसीआईएस अप्रैल–मार्च, 2013 (अंतिम निर्यात डाटा)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान एपीडा उत्पादों के निर्यात में 116331.68 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात के साथ 41.04 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई। किसी भी उत्पाद समूह में नकारात्मक वृद्धि नहीं हुई।

4. प्रमुख उपलब्धियां

- **प्रगति मैदान, नई दिल्ली–जुलाई 30, 2012 को आयोजित वाइन समारोह**

यद्यपि अर्न्तांराष्ट्रीय बाजार में फ्रेंच, इतावली, स्पेनिश तथा अमेरिकन वाइन का प्रभुत्व है, तथापि भारतीय वाइन भी अर्न्तराष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान निर्मित कर रही है। एपीडा लगातार इस उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयासरत है तथा इसी उद्देश्य के तहत, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय वाइन को प्रदर्शित करने हेतु प्रोत्साहक गतिविधि आयोजित की गई। 'वाइन ऑफ इंडिया' समारोह का उद्घाटन श्री आनंद शर्मा, माननीय केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री द्वारा किया गया। इस समारोह का पूर्णरूपेण उद्देश्य राजनयिकों तथा प्रवासी समुदाय को भारतीय सुरा से प्रत्यक्ष परिचित कराना था। वाणिज्य सचिव, विदेश सचिव –एमएफपीआई तथा अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक आईटीपीओ भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

- दस प्रमुख शराब कंपनियों ने उनके लोकप्रिय ब्रांडों के वाइन प्रदर्शित किए। तदुपरांत एक वाइन आस्वादन सत्र आयोजित किया गया जहां विभिन्न जानी–मानी हस्तियों तथा विशिष्ट जनों ने भारतीय वाइन की वृहद् श्रेणियों का आस्वाद लिया। आस्वादन सत्र का संचालन प्रमुख भारतीय वाइन विशेषज्ञ श्री मगनदीप सिंह ने किया।

- **'जैविक वस्त्र हेतु भारतीय मानक' (आईएसओटी) का प्रवर्त्तन**

30 जुलाई, 2012 को आयोजित वाइन–समारोह के समवर्त्ती श्री आंनद शर्मा, माननीय केन्द्रीय मंत्री, वाणिज्य उद्योग तथा वस्त्र मंत्रालय ने जैविक वस्त्र हेतु भारतीय मानक को प्रवर्त्तित भी किया। ये प्रणाली मानकों को राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार नीति के अंश के रूप में विधि–विषयक प्रणाली के तहत लागू किया गया।

एनपीओपी में जैविक उत्पादन तथा कृषि फसलों के मानक भी शामिल किए गए तथा जैविक वस्त्र हेतु प्रमाणीकरण मानक (आईएमओटी) भी इसमें शामिल किए गए जो इससे पूर्व एनपीओपी के आधीन प्रमाणन प्रक्रिया का अंश नहीं थे। आईएसओटी को प्रस्तावित कर भारत ने वैश्विक जैविक वस्त्र मानक (जीओटीएस), जैविक वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक प्रचलित निजी मानकों की दीर्घकालिक अवस्थिति को प्राप्त किया है।

सुरा–संध्या के साथ एपीडा द्वारा एक जैविक फैशन शो का आयोजन भी किया गया जहाँ देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों द्वारा जैविक तन्तुओं तथा रंजकों के उपयोग से निर्मित वस्त्रों से बनाए गए उत्पादों को मॉडलों ने रैंप पर प्रदर्शित किया।

- **एपीडा वार्षिक निर्यात पुरस्कार – नए मानदंडों की स्थापना**

पुरस्कार तथा सम्मान मात्र सफलता की अभिस्वीकृति नहीं होते अपितु बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित भी करते हैं। ये उद्योग में नए मानदण्डों की स्थापना हेतु नवीन चुनौतियां स्वीकार करने हेतु प्रेरित करते हैं। उत्कृष्टता की इसी भावना को प्रोत्साहन देने हेतु एपीडा ने नई दिल्ली में 23 नवंबर, 2012 को 'एपीडा वार्षिक निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। एपीडा द्वारा इन पुरस्कारों का आयोजन वैश्विक स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने की दिशा में भारतीय निर्यातकों द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयासों की सराहना करने हेतु एक प्रयास था।

इस वर्ष, श्री असित त्रिपाठी, आई ए एस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अध्यक्ष, एपीडा द्वारा चार विभिन्न श्रेणियों में 45 पुरस्कार प्रदान किए गए। हीरक, स्वर्ण एवं रजत तथा कांस्य श्रेणी के अर्न्तगत विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात में योगदान हेतु पुरस्कार थे। हीरक ट्राफी मैसर्स अल्लाना संस लिमिटेड को सकल निर्यात में प्रभावशाली प्रदर्शन हेतु प्रदान की गई। विभिन्न श्रेणियों यथा ताजे फल एवं सब्जियां, गोजातीय मांस, कुक्कुट एवं दुग्ध उत्पाद, प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां, अखरोट, बासमती चावल तथा पुष्पोत्पादन के तहत भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

- **कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के अध्यक्ष का पुर्ननिर्वाचन**

विश्व खाद्य मानक संस्था की वार्षिक बैठक में श्री संजय दवे, निदेशक एपीडा को कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अध्यक्ष पद पर पुर्ननिर्वाचित किया गया। इस पद पर यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल होगा।

5. अवसंरचना विकास

अ) चालू परियोजनाएं

1) हिमाचल प्रदेश

क) वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान गुम्मा तथा जारोल टिकर में एच पी एम सी द्वारा सकल 1320 मीट्रिक टन क्षमता वाले दो नियंत्रित परिमंडल (सी ए) भण्डारण गृह चालू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उद्दी, पातलीकुहल, गुम्मा तथा जारोल टिकर नामक चार स्थानों पर प्रत्येक 4–5 मीट्रिक/घण्टा की क्षमता वाली आधुनिकतम सेब लाईन में प्रचालन, श्रेणीकरण तथा संवेष्टन सुविधाएं आरंभ की गई है। उपरोक्त छह परियोजनाओं हेतु एपीडा ने कुल रु.1232.58 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

ख) 200 एम एल की छोटे ट्रेटा पैक में फलों का रस/पेय की संवेष्टन हेतु परवाणू, हिमाचल प्रदेश जिला सोलन में 7800 पैक प्रति घण्टा की क्षमता वाली टी बी ए–19 ट्रेटा पैक मशीन तथा टी एस ए 30 स्ट्रा एप्लीकेटर संस्थापित तथा चालू किए हैं। एपीडा ने उपर्युक्त हेतु एच पी एम सी को रु. 355.15 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

2) गुजरात

क) वर्ष 2012–13 के दौरान महुवा, गुजरात में जी ए आई सी लिमिटेड द्वारा निर्जलित प्याज हेतु शीत भंडारणगृह इकाई की विनिर्माण परियोजना समाप्त हो गई। इस सुविधा के अन्तर्गत 1600 मीट्रिक टन क्षमता वाले चार शीत भंडारणगृह प्रकोष्ठ निर्मित किए गए हैं। एपीडा ने उपर्युक्त हेतु रु. 440.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

ख) नई किस्मों के विकास को केन्द्रित रखते हुए केले को निर्यात हेतु वृद्धिकारक कृषि उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया। तद्नुरूप, एपीडा ने प्रारंभिक तौर पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजपीपला, पावी जेतपुर तथा कामरेज में केला निर्यात हेतु गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जी एस ए एम बी) के साथ तीन

सामान्य–अवसंरचना–परियोजनाओं की मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्त तक ये परियोजनाएं समाप्ति के अन्तिम चरण में होंगी। एपीडा ने उपर्युक्त तीनों परियोजनाओं के लिए रु. 1872.01 लाख की राशि अनुमोदित की है तथा जिसमें से मार्च, 2013 तक रु. 1684.83 लाख निर्गत किए गए हैं। प्रत्येक परियोजना में एक शीत भण्डारणगृह तथा ऊर्ध्वस्थ वाहक (रज्जु मार्ग) सहित संग्रहण केन्द्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

3) पंजाब

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पंजाब में पेजरक्सको (पीएजीआरईएक्ससीओ) मुश्काबाद, साहोली, लालगढ़, कगंमई तथा बाब्री में पांच पैक हाऊस अधिकृत किए गए है। एपीडा ने उपरोक्त हेतु रु. 473.15 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

4) केरल

कालीकट हवाई अड्डे में 75 मीट्रिक टन क्षमता वाले शीत भण्डारणगृह को स्थापित करने हेतु निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। एपीडा ने इसके लिए के एस आई ई लिमिटेड को 154.14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है जिसमें से 130.62 लाख रुपए निर्गत किए गए हैं।

5) तमिलनाडु

तमिलनाडु पशु–चिकित्सा तथा पशु–विज्ञान विश्वविद्यालय में एपीडा ने पशु–उत्पादों को आयात–परीक्षण हेतु गुणवत्ता प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु चेन्नई तथा नमक्कल में दो परियोजनाओं हेतु क्रमशः रु. 555.50 लाख रुपयों तथा रु. 436.23 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवधि में उपरोक्त परियोजनाएं निर्माण के अन्तिम चरणों में है। उपरोक्त दोनों परियोजनाओं हेतु रु. 803.99 लाख निर्गत किए गए हैं।

तमिलनाडु के डिंडीगुल, टिंडीवणम तथा कोंयम्बटूर पैक हाउस परियोजनाओं का निर्माण कार्य अग्रिम चरणों में है। एपीडा ने बागवानी विभाग, तमिलनाडु सरकार को रु. 75.08 की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है जिसमें से वर्ष के दौरान रु. 39.55 निर्गत किए गए हैं।

6) पश्चिम बंगाल

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान एपीडा द्वारा उपलब्ध कराई गई रु. 422.12 लाख की वित्तीय सहायता में से सिलीगुड़ी जलपाई गुड़ी विकास प्राधिकरण ने बिधान नगर में 'अनन्नास हेतु उपजोत्तर सुविधा तथा नीलामी केन्द्र' (पोस्ट हारवेस्ट फैसिलिटी कम ऑक्शन सेन्टर फॉर पाइनएप्पल) परियोजना की संस्थापना के लिए प्रदान किया गया।

7) आन्ध्र प्रदेश

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान मेढक, रंगा रेड्डी तथा विशाखापत्तनम में तीन पैक हाउस का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ, इस कार्य के लिए एपीडा ने बागवानी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार को रु. 75.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। प्रत्येक परियोजना में 25 मीट्रिक टन क्षमता का शीत भण्डारणगृह है।

8) मिजोरम

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आइजोल हवाई अड्डे पर एपीडा तथा एएसआई डी ई द्वारा प्रदत्त रु. 20.64 लाख की वित्तीय सहायता से चलित शीत कक्ष का निर्माण कार्य संपन्न हुआ।

ब) नई परियोजनाएं

एपीडा ने महाराष्ट्र राज्य के पनवेल तथा वाशी में दो प्रस्तावों को स्वीकृति दी है जिन्हें क्रमशः महाराष्ट्र राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा मुंबई ए पीएमसी द्वारा कार्यान्वयित किया जाना है। एपीडा द्वारा रु. 800 लाख की वित्तीय सहायता प्रदत्त पनवेल परियोजना के अर्न्तगत फलों तथा सब्जियों हेतु निर्यात सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर दिनांक 25.09.2012 को हस्ताक्षर किए गए।

उपरोक्त परियोजना की कुल लागत रु. 1426.32 लाख है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान एपीडा द्वारा रु. 320.00 लाख निर्गत किए हैं। 4925 मीट्रिक क्षमता वाले शीत भण्डारणगृह के निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

एपीडा द्वारा रु. 800.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदत्त वाशी परियोजना के अन्तर्गत फलों तथा सब्जियों हेतु अत्याधुनिक बहुउद्देशीय शीत भण्डारण सुविधा की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर 08.10.2012 को हस्ताक्षर किए गए। उपरोक्त परियोजना की कुल लागत रु. 2475.60 लाख है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान एपीडा द्वारा रु. 320.00 लाख निर्गत किए गए हैं। 4990 मीट्रिक टन क्षमता वाले शीत भण्डारणगृह के निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

6. गुणवत्ता विकास संबंधित गतिविधियां

1. प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करना

निर्यात हेतु अनुसूचित एपीडा उत्पादों के नमूने तथा विश्लेषण हेतु दो नई प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई जिन्हें मिलाकर कुल 22 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं। एक राष्ट्रीय रैफरल प्रयोगशाला तथा दो मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं को उच्च परिशुद्धता विश्लेषण उपकरणों द्वारा उन्नयित किया गया।

2. अफ्लाजीव विष तथा कृषि रासायनिक अवशिष्टों के नियंत्रण के माध्यम से निम्नांकित निर्यात नियमों में संशोधन किए गए :

क) यूरोपीय संघ को ताजे खाद्य अंगूरों के निर्यात के नियम को रासायनिक अवशिष्टों के नियंत्रण के माध्यम से निर्यात मौसम 2012–13 हेतु खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करना।

ख) भारत से मूंगफली तथा मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु अफ्लाजीव विष पर नियमों के माध्यम से निर्यातक देशों के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. प्रसंस्करण इकाईयों की मान्यता प्रदान करने हेतु आईओपीईपीसी (IOPEPC) के माध्यम से कार्यान्वित करने हेतु निम्नांकित कार्यप्रणाली में किए गए संशोधन

क) मूंगफली निर्यात हेतु मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों हेतु प्रमाणन मान्यता प्रदान करने हेतु कार्य प्रणाली।

ख) मूंगफली निर्यात हेतु मूंगफली छिलका तथा श्रेणीकरण इकाईयों को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु कार्य प्रणाली।

ग) मूंगफली निर्यात हेतु गोदामों/भंडारण को मान्यता प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु कार्य प्रणाली।

4) मानकीकरण

भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय तकनीकी कार्यदल के सदस्य होने के कारण श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों एवं वैश्विक जीएपी के राष्ट्रीय प्रतिपादन हेतु योगदान।

7. उत्पाद वर्गों में विकासात्मक गतिविधियां

बागवानी क्षेत्र :

संवर्धनात्मक कार्यक्रमः वारसा दूतावास ने वारसा (पोलैंड) तथा विलिनस (लिथुनिया) में लघु समारोह आयोजित किए। एपीडा ने वारसा स्थित भारतीय दूतावास को इन समारोह हेतु आम, प्रचार सामग्री तथा विवरणिकाएं उपलब्ध कराईं। इसी तरह के समारोह बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा भी आयोजित किए गए जिसके लिए एपीडा द्वारा आम तथा संवर्धनात्मक सामग्री उपलब्ध कराई गई।

बाजार अभिगमन मुद्दे :

2.1 वर्ष के दौरान न्यूजीलैंड तथा चिली के बाजारों तक भारतीय आमों की पहुँच बनाने में सफलता अर्जित। इससे 2013 के आम के मौसम में निर्यातकों के लिए नए प्रवेशद्वार खुल गए।

2.2 एपीडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अनार के अभिगमन हेतु पी आरए के संदर्भ में राहत उपाय के प्रदीपन के रूप में कृषि मंत्रालय तथा यूएसडीए – एपीएचआईएस से निरंतर संपर्क बनाए रखा। 2013 के मौसमावधि से अनार का निर्यात आरंभ हो सकता है।

2.3 आस्ट्रेलिया में भारतीय खाद्य–अंगूरों के बाजार अभिगमन हेतु कीटनाशी जोखिम विश्लेषण (पीआरए) अग्रिम चरण में पहुंच गया है तथा जिसके लिए आस्ट्रेलिया द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है।

2.4 एपीडा ने दक्षिण कोरिया में अखरोट, अंगूर, अनार, भिंडी तथा बैंगन, चिली में अंगूर, अखरोट, केला तथा लीची एंव न्यूजीलैंड में भिन्डी के बाजार अभिगमन निवेदनों के संदर्भ में निरंतर संपर्क बनाए रखने के प्रयास जारी रखें।

अन्य गतिविधियां

अंगूर मौसमावधि 2012 के दौरान किसी भी कीटनाशक अवशिष्ट सह्यसीमा से अधिक होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। 'ग्रेपनेट' अनुमार्गी प्रणाली को अधिक संतुलित बनाने हेतु व्यापार तथा पणधारियों के साथ परस्पर वार्तालाप के पश्चात् आर एम पी दस्तावेज में संशोधन करके यूरोपीय संघ जाने वाले लदान उत्पादों हेतु 175 कृषि रसायनों के परीक्षण को सम्मिलित किया गया।

यूरोपीय संघ तथा मध्य–पूर्व देशों को निर्यात होने वाले संभावित सब्जी उत्पादों यथा करेला, भिंडी, बैंगन, कड़ी–पत्ता तथा सहजन में कीटनाशक अवशिष्ट को जांचने हेतु बनाई गई प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में छह राज्यों, कनार्टक, केरल तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के पणधारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

2.5 न्यूजीलैंड निरीक्षण दल का दौरा

उत्तर प्रदेश में आम के बगीचों तथा वीएचटी सुविधा सहित पैक हाउसों के निरीक्षण हेतु न्यूजीलैंड दल के दौरे को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

पशुधन क्षेत्र

1) ट्यूनीशिया रूस, चीन तथा इंडोनेशिया जैसे नए बाजारों में पैठ बढ़ाने के प्रयास जारी रहे।

2) मिस्र, जोर्डन, सऊदी अरब, मलेशिया, अंगोला तथा इराक जैसे अद्यतन बाजारों में हिमशीतित भैंस के मांस के निर्यात संबंधित व्यापार मामलों को लगातार संबोधित किया गया।

3) 27 मई से 16 जून, 2012 की अवधि तक मिस्र के एक चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बूचड़खाना–सह–मांस प्रसंस्करण संयंत्रो की समीक्षा हेतु भारत का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने मिस्र को हिमशीतित हड्डीरहित भैंस के मांस के निर्यात हेतु 16 संयंत्रों को अनुमोदित किया।

4) लगातार प्रयासों के फलस्वरूप यूरोप को शहद निर्यात पुनः आरंम्भ हुआ।

5) निर्यात हेतु प्रसंस्करण संयंत्रों के पंजीकरण हेतु एपीडा द्वारा विभिन्न मांस संयंत्र तथा पशु–केसिंग प्रसंस्करण इकाईयों के निरीक्षण हेतु संयंत्र पंजीकरण समिति के दौरे समन्वित किए गए।

6) विश्व बाजार में मनुष्य, पशु तथा पादप स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अत्याधिक महत्व दिए जाने के मद्देनजर अधिसूचित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्षमता सुधार संबंधित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मांस–प्रसंस्करण संयंत्रों को एचएसीसीपी, आईएसओ इत्यादि गुणवत्ता प्रणाली लागू करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

7) देश से उत्तम गुणवत्ता के भैंस मांस उत्पादों के निर्यात हेतु एपीडा द्वारा विशेष कदम उठाए गए।

7.1) डी जी एफ टी की दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना के अनुसार भारत से मांस–निर्यात मात्र इसी शर्त पर किया जा सकता है कि मांस–निर्यात का स्रोत एपीडा में पंजीकृत समाकलित बूचड़खानों अथवा कच्चे माल का पूर्ण स्त्रोत एपीडा में पंजीकृत मांस प्रंसस्करण संयंत्रों में से हो ।

7.2) उपरोक्त अधिसूचना सटीक व्यवस्था स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी कि एक बूचड़खाना (जिससे निर्यात हेतु मांस प्राप्त किया गया हो) एपीडा के साथ उसका पंजीकृत होना आवश्यक है। एपीडा के साथ पंजीकृत होने का तात्पर्य है कि इससे सुनिश्चित होगा कि उक्त बूचड़खाना गुणवत्ता, स्वास्थ्य–विज्ञान तथा सुरक्षा मानकों को बनाए रखेगा। इससे, बदले में, सुनिश्चित होगा कि भारत से निर्यात किया जा रहा मांस गुणवत्ता, स्वास्थ्य–विज्ञान तथा सुरक्षा के आवश्यक मानकों के अनुरूप है:

8) **अन्य पहल**

मांस निर्यात में सम्मिलित विभिन्न संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित कर इन संस्थानों के अद्यतन नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों तथा प्रारूप इत्यादि को अंतर्वेशित किया जा रहा है।

1) मांस प्रसंस्करण संयत्रों द्वारा कच्चे माल का स्रोत
2) बूचड़खाना/मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता का पुर्नमूल्यांकन
3) भारत से मांस प्रसंस्करण के निर्यात हेतु म्यूनिसपल बूचड़खानों को पशु–शव आपूर्ति के लिए मान्यता
4) नगर बूचड़खानों में गुणवत्ता सुधार हेतु जहाँ बूचड़खाने/मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थित हैं उन राज्यों के लिए पशु चिकित्सा निदेशालयों से साथ निकटता से कार्य करना।
5) व्यवसायी निर्यातकों द्वारा मांस निर्यात करने हेतु यंत्र नियमावली नियमित कर मांस आयात करने वाले देशों के गुणवत्ता प्रचालनों को बनाए रखना।

अनाज क्षेत्र

1) जीआई के रूप में बासमती चावल का पंजीकरण

भारत सरकार द्वारा एपीडा को बासमती चावल में निहित बौद्धिक गुणधर्मों को सुरक्षित रखने का

उत्तरदायित्व सौंपा गया। एपीडा द्वारा जीआई पंजीयन को चेन्नई में नवंबर 2008 को आवेदन दाखिल किया गया जिसे मई, 2010 में रजिस्ट्री जनरल में प्रकाशित कर विरोध प्रपत्र आमंत्रित किए गए।

पंजीयन द्वारा प्रत्युत्तर में कुल नौ विरोध प्रपत्र प्राप्त हुए। एपीडा द्वारा नौ विरोध प्रपत्रों का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। सुनवाई हेतु कतिपय आवेदन दिसंबर में आएं तथा शेष जनवरी–फरवरी, 2013 तक स्थगित किये गए।

2) बीईडीएफ प्रयोगशाला का प्रत्यापन :

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीईएफ) एपीडा द्वारा वर्ष 2002 में संस्थापित और सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है और कृषक, मिल, मालिक, व्यावसायी तथा निर्यातकों जैसे विविध पणधारियों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने हेतु एकीकरण कार्यकलापों के लिए अधिष्ठित है।

बासमती चावल का गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण तथा शुद्धता की जाँच हेतु एक विश्वस्तरीय प्रयोगशाला कृषि एवं प्रौद्योगिकी एसवीबीपी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ (उत्तर प्रदेश) में स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला में डीएनए पार्श्वदृश्यन, कीटनाशक अवशिष्ट परीक्षण तथा भौतिक मानदण्डों के आधार पर गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। दिनांक 31 मार्च, 2010 को डीजीएफटी द्वारा इस प्रयोगशाला को सीमाशुल्क विभाग द्वारा विभिन्न अभिज्ञानों के लिए बासमती चावल के नमूनों के परीक्षण हेतु अधिकृत जाँच केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया गया। इस प्रयोगशाला में 2013 तक सीमा–शुल्क विभाग तथा डीआरआई द्वारा प्राप्त लगभग 2870 नमूनों का परीक्षण किया गया है।

बीईडीएफ प्रयोगशाला ने आईएसओ/आईईसी 17025:2005 के आधीन परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाएं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड से 'प्रत्यापन प्रमाणपत्र' प्राप्त किया है।

बीईडीएफ प्रयोगशाला ईआईए/सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त नमूनों का सीडीएफडी द्वारा डीएनए परीक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है।

3) बासमती उगाने वाले राज्यों के कृषकों हेतु बीईडीएफ द्वारा कार्यशाला का आयोजन :

वर्ष के दौरान बीईडीएफ ने बासमती उगाने वाले राज्यों यथा हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में अपने प्रदर्शन तथा फार्म प्रशिक्षण के माध्यम से 'निर्यात हेतु बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार' पर 15 कार्यशालाएं आयोजित की। इन कार्यशालाओं में लगभग 3000 कृषकों ने भाग लिया।

4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों मे बासमती चावल के उन्नयन पर विशेष संकेन्द्रण :

अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के साथ एपीडा ने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी की तथा उन सभी व्यापार मेलों में बासमती चावल के उन्नयन पर विशेष संकेन्द्रण किया गया।

2) प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र :

मूंगफली पर आधारित कार्यशालाएं

– **जूनागढ़ में कार्यशाला :**

मूंगफली शोध निदेशालय, जूनागढ़ में 5 जून, 2012 को 'श्रेष्ठ कृषि पद्धतियां (जीएपी) तथा अफ्लाजीवविष रहित मूंगफली उत्पादन' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कुल 106 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें 73 मूंगफली उत्पादक कृषक, 13 मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों के प्रतिनिधि तथा 20 वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिक सम्मिलित थे।

– **कोडिनार – गुजरात में कार्यशाला**

मूंगफली शोध निदेशालय, जूनागढ़ गुजरात द्वारा 7 सितंबर, 2012 को कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), कोडिनार में अफ्लाजीवविष रहित मूंगफली उत्पादन हेतु उन्नयित पद्धतियां' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 99 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें 82 मूंगफली उत्पादक कृषक (कुछ लघु व्यवसायी भी इनमें सम्मिलित थे) तथा 17 वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिक सम्मिलित थे।

– **बीकानेर – राजस्थान में कार्यशाला**

कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) बीकानेर, राजस्थान में दिनांक 30–11–2012 को 'एफ्लाजीवविष रहित मूंगफली उत्पादन हेतु उन्नयित पद्धतियां' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कुल 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिनमें 50 मूंगफली उत्पादक कृषक एवं 14 वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिक सम्मिलित थे। श्री सुनील कुमार, सचिव एपीडा तथा श्री नवनीश शर्मा उपमहाप्रबंधक, एपीडा ने इस विषय पर कृषकों को व्याख्यान भी दिया।

– **स्नैक (अल्पाहार) खाद्य व्यापारियों के साथ बैठक :**

दिनांक 30.11.12 को बीकानेर में अल्पाहार खाद्य व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान निम्न तीन मुद्दे उभर कर आए जिनका निपटान एपीडा द्वारा किया जा रहा है :

अ) बीकानेर में प्रयोगशाला का संस्थापन

ब) बीकानेर में शुष्क पत्तन की सुविधा

स) पाकिस्तान को अल्पाहार खाद्य उत्पादों के निर्यात की अनुमति।

– **भारतीय प्रतिनिधि मंडल का मूंगफली परीक्षण के संदर्भ में यूरोपीय संघ का दौरा**

भारत सरकार ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय ऑयलसीड्स तथा उत्पादन निर्यात प्रोमोशन काऊंसिल (आईओपीईपीसी) के तत्वाधाान में यूरोपीय संघ के आयातक देशों यथा स्पेन, नीदरलैंड्स, यूके तथा बेल्जियम को विभिन्न गुणवत्ता संबंधी विषयों पर चर्चा करने हेतु एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल में आईओपीईपीसी, एनआरएल तथा भारत की नामांकित

प्रयोगशालाओं से चुने गए कुल दस प्रतिनिधि सम्मिलित थे जिन्होंने 2010 से 14 जून 2012 के मध्य नोरविच, यूके में पब्लिक एनालिस्ट साइंटिफिक सर्विसिज लेबोरेटरी फेलिंक्सटा बंदरगाह, यूके एवं नीदरलैंड्स में जुएनद्रख्त स्थित एनवीडब्ल्यूए कार्यालय तथा रोटरडम पोर्ट, स्थित वेयर हाउस, नीदरलैंड्स एवं बूसेल्स के डी जी – एसएएनसीओ कार्यालय का दौरा किया।

– **मूंगफली इकाईयों का निरीक्षण दौरा :**

एपीडा, आईओपीईपीसी, गुणवत्ता लेखा–परीक्षक तथा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के एक दल ने चार प्रमुख मूंगफली निर्यातक इकाईयों का दौरा किया।

– **वाइन प्रचार अभियान :**

एपीडा द्वारा कनाडा, यूके, फ्रांस एवं जापान में आयोजित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों के दौरान भारतीय वाइन के प्रचार पर विशेष बल दिया गया तथा भारतीय वाइन की गुणवत्ता के विषय में जागरूकता लाने हेतु विशिष्ट वाइन आस्वादन पटल स्थापित किए गए। तद्नुसार, एपीडा ने भारतीय वाइन के प्रचार हेतु एक सुव्यवस्थित अभियान को प्रारंभ किया है।

– **गत वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न समारोहों का आयोजन किया गया :**

1) भारतीय ओलंपिक दूतावास, लदंन दिनांक 01–02 अगस्त, 2012
2) इंडिया शो, श्रीलंका दिनांक 03–04 अगस्त, 2012
3) वर्ल्ड फूड मॉस्को, मास्को, रूस दिनांक 13–16 सितंबर, 2012
4) स्याल 2012, पेरिस, फ्रांस दिनांक 21–25 अक्टूबर, 2012
5) इंडिया शो, ढाका, बांग्लादेश दिनांक अक्टूबर 2012
6) कनाडियन फूड एवं बिवरेजस शो, टोरन्टो, कनाडा 3–5 मार्च, 2013
7) फूडेक्स जापान, टोक्यो जापान, दिनांक 05–08 मार्च, 2013

– **दाल व्यापारियों के साथ बैठक :** एपीडा के अधिकारियों द्वारा दाल व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुंबई में दिनांक 15.03.2013 को एक बैठक आयोजित की गई। विवेचना के उपरांत निष्कर्ष निकला कि पूर्व–आयात आधार पर निर्यात को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रबल तर्काधार हैं। तद्नुसार डीओसी के विचारार्थ एक प्रस्ताव भेजा गया है।

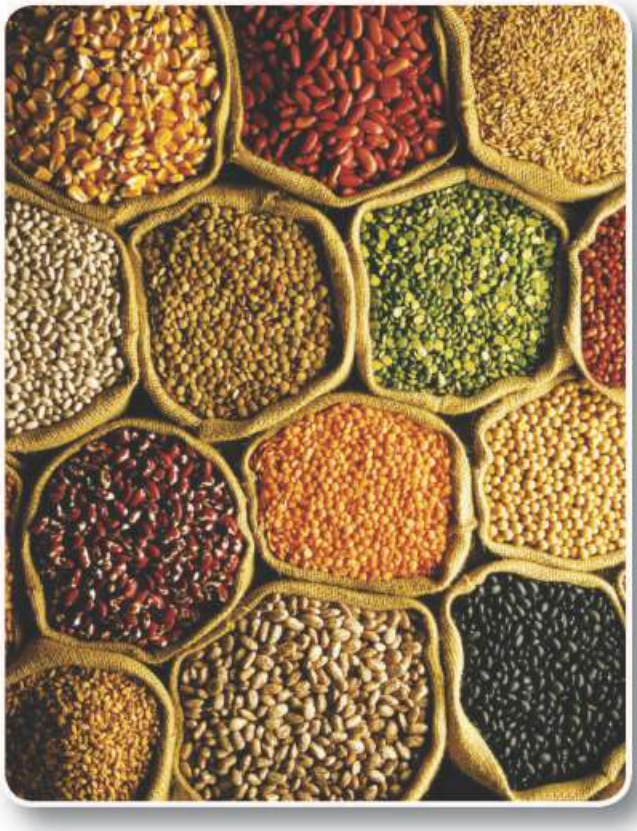

– **मूंगफली पर डीजीएफटी व्यापार अधिसूचना :**

भारत से निर्यात होने वाले मूंगफली तथा मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु प्रेषित उत्पादों में एफ्लाजीवविष के सीमा से अधिक मात्रा होने की लगातार बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एक डीजीएफटी अधिसूचना जारी करके विश्व के सभी देशों को होने वाले निर्यात हेतु अफ्लाजीव विष नियंत्रण स्तर प्रमाणपत्र होना अनिवार्य किया गया है।

इस अधिसूचना के माध्यम से मूंगफली तथा मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु गुणवत्ता सुधार के लिए सभी छिलका उतारने वालों प्रसंस्करण अफ्लाजीवविष कर्ताओं तथा निर्यातकों के अधिक अनुशासित होने की अपेक्षा है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय समारोहों में भागीदारिता :

आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय समारोह

– **समर फैंसी फूड शो, वाशिंगटन डीसी, यूएसए 17–19 जून, 2012** एपीडा ने वाशिंगटन डीसी, यूएसए में 17 से 19 जून, 2012 तक आयोजित समर फूड शो में भाग लिया तथा प्रदर्शनी में 288 वर्ग मीटर क्षेत्र लिया। एपीडा के बैनर तले 12 प्रमुख निर्यातकों ने व्यक्तिगत रूप से भागीदारी की। श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक तथा श्रीमती विनीता सुधांशु, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने इस शो में प्रतिनिधित्व किया।

– **'द इंडिया शो' बिग साइट, टोक्यो, जापान, 20–22 जून 2012** एपीडा ने एम–टेक एक्सपो के संयोजन से 20–22 जून, 2012 को टोक्यो में बिगसाइट, टोक्यो, जापान में 'इंडिया शो' का आयोजन किया। श्री नवनीश शर्मा, उप महाप्रबंधक, एपीडा तथा श्री देवेन्द्र प्रसाद, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा को समूचे समारोह को समन्वित करने हेतु नामांकित किया गया। 'द इंडिया शो' का उद्घाटन वाणिज्य सचिव द्वारा किया गया। श्री असित कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, एमओसी एंड आई ने इस अवसर पर भारत एवं जापान के मध्य व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौते पर एक व्याख्यान भी दिया।

– **फिसपल फूड सर्विस शो – लेटिन अमेरिका, 25–28 जून, 2012** एपीडा ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (एमओएफपीआई) के साथ मिलकर लेटिन अमेरिका के सबसे बड़े खाद्य व्यापार मेलों में से एक, 'द फिसपल फूड सर्विस शो' में भाग लिया। 28वां अर्न्तराष्ट्रीय 'फूड सर्विस शो' 25–28 जून, 2012 को आयोजित किया गया। 'फूड सर्विस शो' में भारत का प्रतिनिधित्व श्री राजबीर सिंह, निदेशक, एमओएफपीआई, श्री आर. के. बोयल, महाप्रबंधक, एपीडा तथा श्री आर. के. मंडल, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा किया गया।

– **11वाँ प्रो–फूड/प्रो–पैक एवं एग्र–बिज 2012, कोलंबो, श्रीलंका, 6–8 जुलाई 2012** एपीडा ने सिरीनिमावो भंडारनायके मेमोरियल प्रदर्शनी केन्द्र, कोलंबो, श्रीलंका में 6–8 जुलाई, 2012 को आयोजित 11वें प्रो–फूड/प्रो–पैक शो में भाग लिया। बेहद सफल रही इस प्रदर्शनी में लगभग 198 संस्थानों (जिनमें स्थानीय एवं विदेशी, दोनों सम्मिलित हैं) ने 285 स्टॉलों के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

एपीडा की भागीदारी का आयोजन श्री अजीत कुमार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा किया गया।

- **13वां मलेशियन अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय–पदार्थ व्यापार मेला, कुआलालुंपुर, मलेशिया, 12–14 जुलाई, 2012** एपीडा ने 13वें मलेशियन अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय–पदार्थ व्यापार मेला, कुआलालम्पुर, मलेशिया में 12–14 जुलाई, 2012 को आयोजित मेले में 54 वर्ग मीटर क्षेत्र लिया। श्री यू.के. वत्स, उप महाप्रबंधक तथा श्रीमती समिधा गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने समारोह में एपीडा की भागीदारिता आयोजित की।

- **अफ्रीका का बिग सेवन 2012, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 15–17, जुलाई, 2012** एपीडा ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारत सरकार के सहयोग से अफ्रीकी क्षेत्र के अग्रणी व्यापार प्रदर्शनी, 'अफ्रीका का बिग सेवन' में भाग लिया। समारोह में श्री एस. एस. नैय्यर, उप महाप्रबंधक तथा श्री विद्युत बरुआ, सहायक महाप्रबंधक ने एपीडा का प्रतिनिधित्व एफओएफपीआई अधिकारियों श्री संजय प्रताप सिंह, अपर सचिव तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक औद्योगिक सलाहकार के सहयोग ने किया।

- **'इंडिया शो' कोलंबो, श्रीलंका 3–5 अगस्त, 2012 कोलंबो, श्रीलंका में 3 से 5 अगस्त, 2012** को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इंडिया शो में एपीडा ने भाग लिया। प्रदर्शनी में महत्वपूर्ण स्थल पर एपीडा ने 106 वर्गमीटर क्षेत्र लिया। श्री आर. रवीन्द्रा, सहायक महाप्रबंधक तथा श्री सी. एस. डुडेजा, कार्यकारी अधिकारी ने 'इंडिया शो' में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

- **इंडिया शो – चेक रिपब्लिक, 11–14 सितंबर एपीडा ने चेक रिपब्लिक में 10–14 सितंबर, 2012** को 'इंडिया शो' का आयोजन किया। समारोह का उद्घाटन 10 सितंबर, 2012 को श्री आनंद शर्मा, माननीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री, भारत सरकार तथा श्री एम. कूबा, उद्योग एवं व्यापार मंत्री, चेक रिपब्लिक ने किया। समारोह में एपीडा की भागीदारिता डॉ0 तरूण बजाज, महाप्रबंधक तथा श्री हरप्रीत सिंह, कार्यकारी अधिकारी, एपीडा द्वारा व्यवस्थित की गई।

- **वर्ल्ड फूड मास्को 2012, मास्को, रूस, 17–20 सितबंर, 2012** एपीडा ने 17–20 सितंबर, 2012 को मास्को, रूस में आयोजित वर्ल्ड फूड मास्को में भाग लिया तथा 54 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया। एपीडा की भागीदारी का प्रतिनिधित्व श्री विनोद के. कौल, उपमहाप्रबंधक तथा श्रीमती विनीता सुधांशु, सहायक महाप्रबंधक द्वारा किया गया।

– **साऊदी एग्रो – फूड 2012, रियाद, साऊदी अरब 24–27 सितंबर, 2012** एपीडा ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम ओ एफ पी आई), भारत सरकार के साथ मिलकर अरब क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापार समारोहों में से एक 'साऊदी एग्रो फूड 2012' में भाग लिया तथा इसमें 99 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया। श्री एस.एस नैय्यर, महाप्रबंधक, एपीडा तथा श्री पंकज कुमार, निदेशक एमओएफपीआई ने कार्यक्रम का आयोजन किया।

– **स्याल 2012, पेरिस, फ्रांस, 21–25 अक्टूबर, 2012** एपीडा ने विश्व के विशालतम खाद्य प्रदर्शनी स्याल 2012 में भाग लिया जिसका आयोजन 'पार्क दे एकस्पोजिसियों दे पारी नॉर्द वीएपीन्त' सम्मेलन केन्द्र 21 – 25 अक्टूबर, 2012 का किया गया। एपीडा द्वारा निर्मित 1538 वर्ग मीटर का सुरुचिपूर्ण पंडाल बड़ी संख्या में आगन्तुकों एवं व्यावसायियों के आकर्षण का केन्द्र रहा। इस आकर्षक तथा जीवन्त पंडाल के माध्यम से लगभग 70 से अधिक कंपनियों को काजू, मसाले तथा बासमती चावल की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। भारत के पंडाल के अतिरिक्त, समारोह में 50 अन्य कंपनियों द्वारा मांस उत्पाद, अल्पाहार, बिस्कुट, शहद तथा खाने को तैयार खाद्य पदार्थ भी प्रदर्शित किए गए। एपीडा की भागीदारी की सम्पूर्ण व्यवस्था श्री सुनील कुमार, सचिव एपीडा तथा श्री यू. के. वत्स, उप महाप्रबंधक एपीडा द्वारा की गई।

– **फूड एंड होटल चाईना (एफएचसी), शंघाई, चीन, 14–16 नवंबर, 2012** एपीडा ने एफ एच सी, चीन में 14–16 नवबंर, 2012 में भाग लिया। एपीडा ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 72 वर्ग मीटर के सुंदर पेवेलियन पर आयोजित किया जहाँ विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद यथा प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद, अचार तथा चटनियां, अल्पहार इत्यादि प्रदर्शित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण भारतीय बासमती चावल की बिरयानी के वेट सैम्पलिंग रहे। वेट सैम्पलिंग को मिलने वाली प्रतिक्रियाओं ने सिद्ध किया कि चीन भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल का संभावित बाजार हो सकता है। एपीडा की भागीदारी श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक तथा आर.के. मंडल, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा आयोजित की गई।

– **वर्ल्ड फूड 2012, यूक्रेन, 31–02 नवंबर, 2012** वर्ल्ड फूड 2012, यूक्रेन का आयोजन 31 से 2 नवबंर, 2012 तक अर्न्तराष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र, कीव में किया गया। एपीडा ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एम ओ एफ पी आई) के साथ मिलकर 'ब्रांड इंडिया' के प्रचार हेतु प्रथम बार इस प्रर्दशनी में भाग लिया। इससे संभावित व्यापारिक अवसरों के विषय में जागरूकता लाने एवं द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यूक्रेन भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, मूंगफली, चावल, ग्वार–फली तथा मादक पेय–पदार्थ आदि के प्रमुख आयातक देश के रूप में उभर रहा है। एपीडा ने 63 वर्ग मीटर क्षेत्र लिया तथा विभिन्न भारतीय मिठाईयां, अल्पाहार, चावल, मिश्रित मसाले, निर्जलित सब्जियां, फलों का गूदा इत्यादि प्रदर्शित किए। समारोह में एपीडा की भागीदारी श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबंधक तथा श्री मान प्रकाश विजय, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने की जबकि एम ओ एफ पी आई का प्रतिनिधित्व श्री के. बी. सुब्रमणियम, उप–सचिव द्वारा किया गया।

– **'इंडिया शो' बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश 03 से 05 दिसंबर, 2012** 'इंडिया शो' का आयोजन बंगबंधु अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र, ढाका में दिसंबर 03–05, 2012 में किया गया। 'द इंडिया शो' में 60 कंपनियों के उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया । एपीडा द्वारा लिए गए 90 वर्गमीटर क्षेत्र के पेवेलियन को बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया। एपीडा के माध्यम से समारोह में लगभग सात निर्यातकों ने भाग लिया। भाग लेने वाले निर्यातकों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए तथा पेवेलियन में आने वाले आंगतुकों को बिरयानी के वेट सैम्पलिंग परोसे गए। कार्यक्रम में एपीडा की भागीदारी डॉ. सुधांशु, उपमहाप्रबंधक तथा श्री उमेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा आयोजित की गई।

– **फ्रूट लॉजिस्टिका 2013, बर्लिन, जर्मनी, 06–08 फरवरी, 2013** फ्रूट लॉजिस्टिका अन्तर्राष्ट्रीय ताजे उत्पाद व्यापार हेतु प्रमुख व्यापार समारोह है। यह एक विशिष्ट व्यापार समारोह है जो ताजे उत्पाद क्षेत्र के लिए उनके उत्पादों को उत्पादकों से लेकर खाद्य खुदरा व्यापारियों तक की सम्पूर्ण महत्वपूर्ण श्रृंखला के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। एपीडा ने प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु 108 वर्ग मीटर क्षेत्र लिया। भारतीय पेवेलियन सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया तथा भाग लेने वाले निर्यातकों तथा आगंतुकों द्वारा इसे बहुत सराहा गया। भारतीय पेवेलियन में आठ प्रमुख ताजे उत्पाद के निर्यातक उपस्थित रहे जिन्होंने नाना प्रकार के ताजे उत्पाद प्रदर्शित किए। तीन भारतीय निर्यातकों (जिनमें दो ताजे उत्पाद निर्यातक तथा एक पैकेजिंग क्षेत्र से था) ने पृथक स्थान लेकर इस प्रर्दशनी में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री आर. के. बोयल निदेशक, एपीडा तथा श्री आर. एस. बिष्ट, अपर सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भातर सरकार द्वारा किया गया।

– **बायोफैक, जर्मनी 13 – 16 फरवरी, 2013** बायोफैक, जर्मनी, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े अन्तर्राष्ट्रीय जैविक व्यापार मेलों में से एक है। इस वर्ष इस समारोह का आयोजन न्यूरैमबर्ग मैसी, जर्मनी में 13–16 फरवरी, 2013 को किया गया। एक साझे मंच के माध्यम से चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड तथा मसालें बोर्ड ने 34 निर्यातकों के साथ जैविक उत्पादों की वृहद श्रृंखला प्रदर्शित की। इन्हीं के साथ कृषि विभाग कर्नाटक तथा उत्तराखण्ड सामग्री बोर्ड ने भी भागीदारी की। इस मेले में जैविक उत्पादों की सम्पूर्ण श्रृंखला, प्रमुखतः प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, फल एवं सब्जियां, मसालें, दुग्ध उत्पाद, पेय पदार्थ, वस्त्र तथा सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि प्रदर्शित की गई। पेवेलियन में ही भारतीय व्यंजनों के प्रचार हेतु एक भारतीय रेस्तरां स्थापित किया गया। प्रचार संबंधित गतिविधियां जैसे हेना टैटू, जैविक बासमती चावल के वेट सैम्पलिंग तथा भारतीय व्यंजनों को देखने हेतु सीधा प्रदर्शन इत्यादि सभी आगंतुकों को पूर्णरूपेण बांधे रखने में सहायक रहे। श्री एम. सेवला नाइक, वाणिज्य दूत, भारतीय वाणिज्य दूतावास, म्यूनिख ने भारतीय पंडाल का भ्रमण किया तथा सभी जैविक निर्यातकों से मिले। समारोह में एपीडा की भागीदारी श्री एस. एस नैय्यर, महाप्रबंधक तथा श्रीमती समिधा गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा आयोजित की गई।

– **केनैडियन फूड एंड बेवरीज़ शो, 2013, टोरंटो, कनाडा, 03–05 मार्च, 2013** कैनेडियन फूड एंड बेवरीज़ शो का आयोजन प्रत्यक्ष ऊर्जा केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, टोरंटो, कनाडा में 3 से 5 मार्च 2013 के दौरान किया गया। समारोह को केनैडियन रेस्टोरेंट तथा फूड सर्विस संघ (सीआरएफए) द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पाद क्षेत्र यथा मिष्ठान्न, किराना उत्पाद, मांस तथा कुक्कट, दुग्ध, डिब्बाबंद खाद्य, फल तथा सब्जियां, चाय एवं कॉफी, हिमशीतित एवं सुविधाजनक खाद्य पदार्थ तेल, वसा तथा सॉस, मछली एवं समुद्री खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ इत्यादि सम्मिलित रहे। एपीडा ने समारोह में 60 वर्गमीटर क्षेत्र लिया। मैसर्स के आर बी एल तथा मैसर्स दीपकिरण ने बासमती चावल की बिरयानी के वेट सैम्पलिंग परोसे तथा मैसर्स निर्वाणा बायोसेस ने वाइन का वेट सैम्पलिंग परोसा। प्रदर्शनी में एपीडा का प्रतिनिधित्व श्री विनोद के. कौल, उप महाप्रबंधक तथा श्री अजीत कुमार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया।

– **फूडैक्स जापान 2013, टोक्यो जापान, 05–08 मार्च, 2013** फूडैक्स जापान विश्व के बडे खाद्य मेलों में से एक है। माकुहारी मैसी, टोक्यो, जापान में 5 से 8 मार्च को आयोजित फूडैक्स जापान 2013 में एपीडा ने भाग लिया। 72 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत सौन्दर्य परकता से सुसज्जित एपीडा पेवेलियन की अत्याधिक सराहना की गई। समारोह में एपीडा के दस सदस्य निर्यातकों ने अलग – अलग भाग लिया। दसों निर्यातक कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। समारोह के दौरान भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा विभिन्न खाद्य उत्पाद यथा निर्जलित सब्जियां, जैविक परंपरागत चाय, शहद, खाने को तैयार करी, आम का गूदा तथा रस, अल्पाहार, नारियल पानी, शराब, बीयर तथा मसालें प्रदर्शित किए गए।

एपीडा पेवेलियन का जापान स्थित भारतीय दूतावास से माननीय राजदूत सुश्री दीपा गोपालन वाधवा, श्री अरुण गोयल – मंत्री (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) एवं प्रथम सचिव (वाणिज्यिक) श्री तपन कुमार दत्ता ने भी दौरा किया। उन्होंने एपीडा पेवेलियन की प्रशंसा की तथा प्रत्येक भाग लेने वाले निर्यातक से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित किया एवं इस गुणवत्ता सतर्क बाजार में भारतीय उत्पादों के दृष्टिक्षेत्र

को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम का आयोजन श्री सुनील कुमार, सचिव एपीडा तथा श्री अनुराग शर्मा, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया।

– आई एफ ई, लंदन 2013, लंदन, यू.के. 17–20 मार्च, 2013 एक्सेल लंदन में 17 से 20 मार्च, 2013 को आयोजित आई एफ ई में एपीडा की सक्रिय भागीदारी रही। इस प्रदर्शनी के माध्यम से विश्व के भिन्न–भिन्न भागों के निर्यातकों को परस्पर संवाद का अद्वितीय अवसर उपलब्ध हुआ तथा नवीन व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। एपीडा ने विश्व को भारत का सर्वोत्तम रूप प्रदर्शित करने हेतु समारोह में 108 वर्ग मीटर क्षेत्र लिया। भारत के जीवंत पेवेलियन ने 'ब्रांड इंडिया' को प्रभावकारी ढंग से उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से प्रदर्शित किया जिनमें जैविक उत्पाद, खाने को तैयार खाद्य पदार्थ, सूप, शहद, मसाले एवं जड़ी–बूटी, जाते तथा हिमशीतित फल यथा ताजे आम एवं सब्जियां, चटनियां, अचार, हर्बल चाय, शराब तथा बासमती चावल प्रमुख हैं। एपीडा के पेवेलियन का मुख्य आकर्षण केन्द्र भारतीय बासमती चावल का आर्द्र प्रतिदर्श तथा ताजे आम रहे। श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक, एपीडा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अत्याधिक सफल रहा एवं इसके माध्यम से विश्व को भारत के दृढ़ निर्यात आधार से पूर्णरूपेण परिचित कराया जा सका।

आयोजित राष्ट्रीय समारोह

– आहार प्रदर्शनी, नई दिल्ली ,14–18 मार्च, 2013 'आहार, खाद्य' प्रसंस्करण तथा अतिथि सत्कार उद्योग की प्रमुख प्रदर्शनी है। यह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने तथा विभिन्न पणधारियों से परस्पर विमर्श हेतु उत्तम मंच उपलब्ध कराती है। इस वर्ष 'आहार' प्रदर्शनी का आयोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14–18 मार्च, 2013 को किया गया। इस समारोह की मुख्य विषय–वस्तु 'प्रसंस्कृत खाद्य : फार्म से फोर्क' तक थी। प्रदर्शनी को दो स्वतंत्र खंडों 'फूड इंडिया' एवं 'अतिथि सत्कार इंडिया' में विभाजित किया गया। इस वर्ष 'आहार' में विदेशों से आए लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'आहार' के इस परिशिष्ट का लक्ष्य देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) को आकर्षित करना था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस प्रदर्शनी के आयोजन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएफपीआई) के साथ एपीडा की विशिष्ट भूमिका रही। एपीडा – एमओएफपीआई ने प्रदर्शनी में भाग लेने वाले सभी 44 देशों को अधिकतम प्रसार उपलब्ध कराने हेतु 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र का पेवेलियन लिया। पेवेलियन का उद्घाटन श्री असित त्रिपाठी, अध्यक्ष एपीडा द्वारा किया गया तथा 25000 से भी अधिक व्यापारी आगंतुकों ने इसका दौरा किया। एपीडा – एम ओ एफ पी आई पेवेलियन को 'उत्कृष्ट विषय–वस्तु प्रदर्शन' (एक्सीलेंस इन थीम डिस्पले) तथा उत्पादों के व्यावसायिक प्रदर्शन हेतु स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

9) जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2001 में एनपीओपी लागू किए जाने के पश्चात भारत में जैविक कृषि तेजी से वृद्धिरत है तथा विश्व बाजार की मांग की पूर्ति कर रही है।

वर्ष 2012–13 के दौरान भारत के 19 श्रेणियों के अन्तर्गत 300 उत्पाद निर्यात किए। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद चीनी, सोयाबीन तथा इसके उत्पाद, ऑयलसीड्स, कपास तथा वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य, बासमती चावल, तिल, मसाले, चाय, मेवे, औषधीय पौधे तथा उनके प्रसंस्कृत उत्पाद थे।

वर्ष 2012–13 हेतु जैविक उत्पादों का सकल निर्यात (वस्त्र सहित) 165262.06 मीट्रिक टन रहा जिसका मूल्य रु. 2106.81 करोड़ था।

जैविक उत्पादों का निर्यात प्रमुखतः यूरोपियन संघ को किया गया। तत्पश्चात् यूएसए, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, चीन, मध्य–पूर्व देशों एवं कुछ दक्षिणी एशियाई देशों को भी जैविक उत्पाद निर्यात किए गए।

जैविक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि यूरोपीय संघ तथा स्विट्जरलैंड द्वारा एनपीओपी समतुल्य को मान्यता/स्वीकृति प्रदान करने तथा यूएसए द्वारा एनपीओपी के मूल्यांकन कार्यप्रणाली के अनुपालन की प्रदान मान्यता/स्वीकृति के कारण आई है। इसी प्रकार की मान्यता/स्वीकृति शीघ्र ही कनाडा, जापान तथा ताईवान द्वारा भी प्रदान किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, पशुधन, जल–जीवों तथा वस्त्रों के जैविक निर्यात हेतु एलपीओपी के अंतर्गत प्रस्तावना हेतु मानक तैयार किए गए है तथा अधिसूचना जारी करने हेतु सरकार को प्रेषित किए गए हैं। वर्तमान में एनपीओपी के अंतर्गत जैविक उत्पादों के प्रमाणन हेतु 24 निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एंजेसियां प्रत्यायित की गई हैं।

10. पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियाँ:–

क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, देश के पश्चिमी क्षेत्र से कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात प्रसार को प्रोत्साहित करता है तथा साथ ही इस क्षेत्र से एपीडा की समस्त गतिविधियों को आयोजित करना एवं उत्तरदायित्व संभावना जिनमें गुणवत्ता उन्नयन शोध एवं विकास, अवसंरचना विकास, बाजार का विकास, बाजार की समझ तथा डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण एवं परिवहन सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त द्वितीय सहायता योजनाओं को लागू किया जाना सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई गतिविधियों में शासनाधीन उत्पादों के डाटा–बेस के विकास तथा बाजार एवं सेवाएं तथा निर्यातकों तक इस सूचना का प्रचार करना इत्यादि है।

(i) **पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र तथा पंजीकरण सह आबंटन प्रमाणपत्र** क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा 856 पंजीकरण प्रमाणपत्र, 103 एपीडा पुर्नपंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए। बासमती चावल के लिए 809 तथा कच्ची शर्करा के आयात हेतु 115 कुल पंजीकरण सह आबंटन प्रमाणपत्र जारी किए गए।

(ii) पश्चिमी क्षेत्र में जारी साझा अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का अनुरीक्षण। इसके लिए एक अनुरीक्षण समिति स्थापित की गई तथा महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों में समिति की बैठकें निर्धारित की गईं। पश्चिमी क्षेत्र में नई प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु पूर्वाकलन दौरे आयोजित किए गए।

(iii) पैक–हाउस आवेदन पत्रों की संवीक्षा की तथा उन्हें समिति के दौरे आयोजित करने हेतु दिशानिर्देश जारी करने के लिए आगे की कार्यवाही हेतु मुख्यालय को अग्रेषित किया गया। ताजी सब्जियों, अनार, आम तथा अंगूर से संबंधित 120 पैक हाउसों हेतु समिति के दौरे आयोजित किए गए।

(iv) महाराष्ट्र में नए निजी बन्दरगाहों द्वारा निर्यात की संभावनाओं को तलाशने हेतु प्रक्रिया आरंभ की। एपीडा की एमएसएएमबी के साथ नवीन निजी बन्दरगाह 'जयगढ़ पोर्ट में एक बैठक नियत की जिसमें रत्नागिरी एवं सिन्धुदुर्ग क्षेत्र से कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु बन्दरगाह को उपलब्ध कराने हेतु विचार विमर्श किया गया। यह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तथा यदि यह बंदरगाह कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिचालित हो जाता है तो कोंकण क्षेत्र के निर्यातकों को अपनी निर्यात सामग्री (कार्गो) जेएनपीटी बंदरगाह तक लाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं वे प्रथम चरण में मध्य–पूर्व के बाजारों तक नए बदंरगाह से निर्यात करने में समर्थ होंगे।

(v) भिन्डी के निर्यात से संबंधित नए यूरोपीय संघ अधिनियम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए विभिन्न मुद्दों को हल करने हेतु सब्जी निर्यातकों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श हेतु बैठकें आयोजित की गईं। एक प्रारूप व्यापार अधिसूचना तैयार की गई तथा पीपीक्यू विभाग एवं निर्यातकों के साथ विचार–विमर्श के पश्चात् इसे अंतिम स्वरूप दिया गया तथा इस व्यापार अधिसूचना का अनुमोदन एवं इसे जारी किए जाने हेतु मुख्यालय को अग्रेषित किया गया है। दाल निर्यातकों तथा उनकी एसोसिएशन के साथ कच्ची दालों के आयात के विरुद्ध प्रसंस्कृत दालों के निर्यात के संदर्भ में 15 मार्च, 2013 को पारस्परिक विचार विमर्श बैठक संचालित की गई।

(vi) निर्यात संबंधी विभिन्न मुद्दों पर संबंधित एजेंसियों के साथ पारस्परिक विमर्श किया गया।

– **एयर इंडिया के साथ बैठक :**

मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय विमानतल पर एपीडा सीपीसी के मुद्दों को हल करने के लिए एयर इंडिया के साथ 19 नवंबर, 2012 को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ब्लू स्टार के साथ लंबे समय से अटके रख–रखाव तथा कार्य प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया जिसके कारण निर्यातकों को प्रतिदिन उनकी निर्यात सामग्री (कार्गो) को लाने–ले जाने में कई समस्याओं का सामना करना होता था।

– **जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के साथ बैठक**

जेएनपीटी के साथ 8 जनवरी 2013 को बंदरगाह में भीड़भाड़ से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई। बंदरगाह अधिकारियों को जेएनपीटी पर भीड़–भाड़ के कारण निर्यातकों को आने वाली समस्याओं के विषय में जानकारी दी गई तथा उनसे बंदरगाह पर भीड़–भाड़ कम करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

– **सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ बैठक**

27 नवम्बर, 2012 को वी के यू वाई पर अतिरिक्त आयुक्त सीमाशुल्क के साथ ताजे फल एवं सब्जियां निर्यातकों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

(vii) संपन्न किए गए अन्य नियमित सामान्य कार्य निम्न प्रकार है :

सूचना का प्रसार

कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण समाचार कतरनों के साथ 'एग्री एक्सचेंज' समाचार प्रपत्र ईमेल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के उन सभी सक्रिय निर्यातकों को भेजा गया जो एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय के निरंतर संपर्क में रहते है।

हिन्दी राजभाषा का प्रर्वतन / प्रोत्साहन

प्रथम बार, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने हिन्दी राजभाषा के प्रोत्साहन हेतु हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया। कार्यालय में राजभाषा के प्रवर्तन हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मांस संयंत्र पंजीकरण समिति का दौरा

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने 15 एकीकृत बूचड़खानों सह मांस प्रसंस्करण इकाईयों के लिए पंजीकरण समिति का दौरा आयोजित किया।

प्रतिनिधि मंडल

वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के दौरे समन्वयित किए गए

i) इंडोनेशियाई निवेश प्रतिनिधिमंडल का दौरा (अप्रैल, 2012)

ii) मिस्र मांस प्रतिनिधि मंडल का दौरा (मई–जून, 2012)

iii) डच, नीदरलैंड्स प्रतिनिधिमंडल, खाद्य एवं उपभोक्ता उत्पादन सुरक्षा प्राधिकरण का दौरा (सितंबर, 2012)

iv) यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल का दौरा (अक्टूबर, 2012)

v) मलेशियाई मांस प्रतिनिधिमंडल का दौरा (फरवरी, 2013)

भौतिक सत्यापन

एपीडा द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से निर्यातकों द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन आठ सदस्यों द्वारा किया गया।

एपीडा – एमओएफपीआई – संयुक्त निरीक्षण

- मैसर्स नेचुरल फ्रोजन एंड डिहाईड्रेटिड फूड्स, भावनगर, गुजरात
- मैसर्स साबरकांता जिला कोपोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि., गुजरात
- मैसर्स ब्लू फिन फ्रोजन फूड्स प्रा. लि., तालोजा, महाराष्ट्र
- मैसर्स सावला फूड्स एडं कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., तुरभी, नवी मुंबई
- मैसर्स जे के टी एन्टरप्राइसिज लि., नवी मुंबई

ईआईसी पैनल

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने निम्नलिखित दो डेयरी इकाईयों का पैनल निरीक्षण दौरा किया :

- मैसर्स वैष्णों देवी डेयरी उत्पाद प्रा. लि., अहमदनगर
- मैसर्स प्रभात उद्योग, श्रीरामपुर, अहमदनगर

घरेलू व्यापार मेलों में भागीदारिता

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के अधिकारियों ने मुंबई में अप्रैल, 2012 को आयोजित खाद्य एवं पेय पदार्थ में भाग लिया।

समन्वयित दौरे/संगोष्ठी कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों / निरीक्षणों में भागीदारी

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने राज्य/केन्द्र सरकार के संस्थानों के साथ लगभग 90 बैठकों / कार्यशालाओं / संगोष्ठी इत्यादि को आयोजित किया तथा उनमें भाग लिया।

आई ओपीईपीसी निर्यात पुरस्कार तथा वार्षिक व्यापार गोष्ठी एपीडा मुंबई ने गोवा में आयोजित वार्षिक व्यापार गोष्ठी में भाग लिया। एपीडा द्वारा उपलब्ध कराए गए सहयोग के प्रतिदान स्वरूप एपीडा को एक ट्रॉफी प्रदान की गई।

– मुंबई में 7 नवंबर, 2012 को आईएफसीए द्वारा आयोजित 'पैकटेक – 2012 के दौरान आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।

- मुंबई में 20 दिसंबर, 2012 को भारतीय पैकेजिंग संस्थान की बोर्ड बैठक में भाग लिया।
- बंबई प्रदर्शनी केन्द्र में 12 दिसंबर, 2012 को आयोजित 'खाद्य तथा किराना फोरम' में भाग लिया तथा एपीडा के प्रतिनिधि ने निर्यात हेतु जैविक उद्योग के विकास पर व्याख्यान भी दिया।
- हिल्टन, मुंबई में 13 दिसंबर, 2012 को आयोजित 'इंडिया फूड मैन्यूफैक्चरिंग एंड सेफ्टी सम्मिर 2012 में भाग लिया तथा एपीडा के प्रतिनिधि ने 'कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के निर्यात में खाद्य सुरक्षा एवं अनुमार्गी के क्षेत्र में एपीडा द्वारा उठाए गए उपक्रमण' विषय पर व्याख्यान भी दिया।
- एफएसएसएआई द्वारा कोडेक्स में 'खाद्य मानकों के सामंजस्य' पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- पुणे में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 10 मार्च 2013 को आयोजित बोर्ड–बैठक में भाग लिया।

क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर

एपीडा, बंगलौर राज्य में निर्यात संबंधी केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संस्थानों के नियमित संपर्क में रहा। विभिन्न निर्यात अवसरों पर नए तथा उदीयमान व्यावसायियों को परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने में भी एपीडा, बंगलौर की भागीदारी रही।

नीतियों, प्रक्रियाओं, उत्पाद प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रीय क्रेताओं इत्यादि पर सूचना का प्रचार–प्रसार तथा निर्यातकों को परिवहन सहायता उपलब्ध कराने संबंधी दावों के प्रसंस्करण एवं एपीडा की वित्तीय सहायता से निर्यातकों द्वारा स्थापित की गई परिसंपत्तियों के सत्यापन में भी एपीडा, बंगलौर की सक्रिय भागीदारी रही। बंगलौर कार्यालय ने 675 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) तथा 40 पंजीकरण सह आबंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी) जारी किए। वर्ष 2012– 13 के दौरान रु. 27.99 करोड़ परिवहन परिदान पर व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त मांस संयंत्रो/पैक–हाउसों के दौरों, उनमें भागीदारी तथा परिसंपत्तियों के निरीक्षण को भी आयोजित किया गया। दक्षिणी क्षेत्र में एपीडा की गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर ने केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, वित्तीय संस्थानों, शोध संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा इत्यादि आयोजित कार्यशालाओं / संगोष्ठी / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया तथा एपीडा की गतिविधियों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण भी दिया।

कार्यक्रम / बैठकें

1) त्रिवेन्द्रम, केरल में 14 मार्च, 2013 केरल के ताजे फल एवं सब्जियां निर्यातकों तथा प्रयोगशाला प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य रूप से भारत से निर्यात होने वाली भिंडी और करी पत्ते पर यूरोपीय संघ के अधिनियम पर विचार विमर्श किया गया।

2) क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर में एपीडा द्वारा विभिन्न स्तरों पर मध्यस्थता की आवश्यकताओं के संदर्भ में विचार विमर्श करने हेतु खीरा निर्यातकों तथा भारतीय खीरा निर्यातक संघ के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।

3) बागवानी विभाग का दौरा किया तथा कर्नाटक राज्य में जारी विभिन्न साझे कार्यक्रमों की वस्तुस्थिति के संदर्भ में बागवानी निदेशक से विमर्श किया गया।

दौरे / संगोष्ठी / सम्मेलन

1) दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न भौतिक सत्यापन, मांस संयंत्र निरीक्षण, आईडीपी दौरे, पैक हाउस मान्यता दौरा, जैविक प्रमाणपत्र एजेंसियों के मूल्यांकन इत्यादि गतिविधियां आयोजित की गईं।

2) त्रिवेन्द्रम, केरल में 5 अगस्त, 2012 को आयोजित 'कृषि आधारित उद्योगों पर सम्मेलन' में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन डब्लूटीओ सेल, कृषि विभाग, केरल सरकार द्वारा किया गया था तथा इसमें सभी उपभोक्ता सामग्री बोर्ड यथा नारियल विकास बोर्ड, मसालें बोर्ड, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, नाबार्ड तथा केरल कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

3) थेनी में 2 तथा 3 नवंबर, 2012 को बागवानी तथा बागान उपज आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया तथा इसमें प्रस्तुतीकरण भी दिया।

4) हैदराबाद में 9 फरवरी, 2013 को एन आर सी मीट द्वारा 'घरेलू तथा निर्यातक मांस क्षेत्र में मांगों की पूर्ति हेतु उभरते तकनीकी परिवर्तन' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया एवं प्रस्तुतीकरण दिया।

घरेलू प्रदर्शनियां

'आहार' – अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेला 2012 – तमिलनाडु व्यापार प्रोमोशन संस्थान के साथ मिलकर, भारत व्यापार प्रोमोशन संस्थान ने चेन्नई में 23 – 25 अगस्त, 2013 को आहार चेन्नई व्यापार मेले का आयोजन किया। समारोह का उद्घाटन श्रीमती एम. पी. निर्मला, आई ए एस, सचिव (खाद्य), तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया। एपीडा को 198 वर्ग मीटर का क्षेत्र आबंटित किया गया जिसे आठ बूथों को स्थान उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया। एपीडा स्टॉल को गणमान्य आगंतुकों तथा व्यावसायी आगंतुकों दोनों पक्षों से ही उत्तम सराहना प्राप्त हुई।

इंडिया फूडैक्स, बंगलौर, 25–27 अगस्त 2012 – इंडिया फूडैक्स 2012 का चौथा संस्करण बंगलौर के पैलेस मैदान में 'एग्रीटेक इंडिया 2012,' 'ग्रेन टेक इंडिया 2012' तथा 'डेयरी टेक इंडिया' 2012 के साथ 25 से 27 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया। इस प्रर्दशनी में कुक्कुट एवं पशु एक्सपो 2012 का भी शुभारंभ किया गया। भूतपूर्व प्रधान मंत्री माननीय श्री देवगौड़ा ने समारोह का उद्घाटन किया तथा एपीडा के स्टॉल का दौरा भी किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। एपीडा के स्टॉल में निर्यातकों को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने हेतु स्थान उपलब्ध कराया गया।

आगंतुक एवं प्रतिनिधि दल

– **डॉ. शिरोमा सत्यपाला, प्रबंधक, प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, न्यूजीलैंड – 19 जून, 2013**

डॉ. शिरोमा सत्यपाला, प्रबंधक, फल उत्पाद आयात, प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, न्यूजीलैंड द्वारा 19 जून, 2013 को मैसर्स इंडो ब्लूम लि. की पुष्पोत्पादन इकाई का दौरा किया गया। श्रीमती थांगम रामचन्द्रन, क्षेत्राधिकारी, एपीडा, बंगलौर ने उनके साथ पुष्पोत्पादन इकाईयों में निर्जीवीकरण की प्रक्रियाओं को जानने हेतु मैसर्स इंडो ब्लूम लि. का 19.06.2012 को दौरा किया। श्री मामन मपिल्लै, प्रबंध निदेशक,

मैसर्स इंडो ब्लूम लि. तथा डॉ. तिलक सुब्बिया, परामर्शदाता बागवानी विशेषज्ञ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉ. सत्यापाला ने ग्रीन हाउस में समुचित प्रक्रियाएं तथा पद्धतियों को बनाए रखने हेतु कंपनी की सराहना की।

– **मलेशियाई मांस प्रतिनिधि दल का हैदराबाद दौरा – 12–14 फरवरी 2013**

मलेशियाई मांस प्रतिनिधि दल ने 12–14 फरवरी 2012 को हैदराबाद का दौरा किया। क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर ने प्रतिनिधि दल के साथ मैसर्स फ्रीगो कॉनसर्वा एल्लाना लि., मैसर्स अल–कबीर एक्सपोर्ट प्रा. लि. तथा मैसर्स अल कुरैशी एक्सपोर्ट के मांस संयंत्रों का दौरा किया।

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

एपीडा, हैदराबाद कार्यालय राज्य में निर्यात संबंधी केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संस्थानों के नियमित संपर्क में रहा। विभिन्न निर्यात अवसरों पर नए तथा उदीयमान व्यावसायियों को परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने में भी एपीडा, हैदराबाद की भागीदारी रही। विभिन्न सांविधिक गतिविधियों यथा आर सी एम सी एवं आर सी ए सी को जारी करने के साथ–साथ विभिन्न मांस संयंत्रों के दौरों एवं पैक – हाउसों के अनुमोदनों तथा परिसंपत्तियों के भौतिक निरीक्षण जैसी अनेक गतिविधियों को आयोजित करने और उनमें भाग लेने में भी कार्यालय की पूर्णरूपेण भागीदारिता रही।

राज्य में एपीडा की गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने हेतु एपीडा ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, वित्तीय संस्थानों, शोध संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि द्वारा आयोजित कार्यशालाओं / संगोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया तथा एपीडा की गतिविधियों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया।

वर्ष 2012–13 के दौरान, कार्यालय ने 30056 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात हेतु 153 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र तथा 154 पंजीकरण सह आबंटन प्रमाणपत्र जारी किए।

सम्मेलन / कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम

– **''कृषकों के जोखिम वातावरण में होने वाले बदलाव फार्म व्यवहार्यता केन्द्रित कृषि तथा सहयोगी क्षेत्र की मध्यस्थता'' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला**

उत्तम शासनप्रणाली हेतु केन्द्र, एमसीआर एचटीआरडीआईएपी परिसर, हैदराबाद ने ''कृषकों के जोखिम वातावरण में होने वाले बदलाव – फार्म व्यवहार्यता केन्द्रित कृषि तथा सहयोगी क्षेत्र की मध्यस्थता'' का आयोजन एम सी आर एचआरडीआईपी परिसर, हैदराबाद में 07.05.2012 को किया। क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने ''कृषकों के जोखिम वातावरण में होने वाले बदलाव' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। लगभग 100 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

– **कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन–सह–प्रर्दशनी, नवंबर 5–6, ताज कृष्णा, हैदराबाद**

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैबंर्स ऑफ कार्मस एवं इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन–सह–प्रदर्शनी का आयोजन 5–6 नवबंर, 2012, ताजकृष्णा, हैदराबाद में किया गया।

श्री ई. एस. एल. नरिसम्हन, माननीय राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने कृषि – प्रसंस्करण तथा निर्यात के क्षेत्र में एपीडा की भूमिका के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण दिया। इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

– **'एक्सिम एक्सीलेंस' पर सी आई आई सम्मेलन – 2012 ' भारत के निर्यात अवसरों में त्वरित वृद्धि हेतु अनिवार्य कदम तथा आंध्र प्रदेश के लिए चुनौतियां – 29.11.2012**

सीआईआई, हैदराबाद ने 'एक्सिम एक्सीलेंस, – 2012 पर होटल आई टी सी, काकाटिया, हैदराबाद में 29.11.2012 को एक सम्मेलन का आयोजन किया।

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबद ने कृषि प्रसंस्करण उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र में एपीडा की भूमिका के संदर्भ में एक प्रस्तुतिकरण दिया।

क्षेत्रीय दौरे :

– **आन्ध्र प्रदेश से महाराष्ट्र तक के 27 प्रगतिशील अंगूर कृषकों का दौरा – 18.02.2013 से 21.02.2013 तक**

एच आर डी कार्यक्रम के तहत कृषकों को शिक्षित एवं जागरूक बनाने के लिए 19.02.2013 को आन्ध्र प्रदेश से लगभग 27 प्रगतिशील कृषकों को नासिक क्षेत्र स्थिति अंगूर के बागान एवं पैक हाउसों में ले जाया गया। उन्होंने नासिक से यूरोपीय संघ को अंगूर निर्यात करने वाले प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय कृषकों तथा पैक–हाउस अधिकारियों से कृषकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न उत्पादन विधियों तथा पैक–हाउसों द्वारा अपनाई गई निर्यात प्रणालियों के संबंध में पारस्परिक संवाद किया।

दल ने मैसर्स पराग मिल्क फूड प्रा. लि. (मैसर्स गोवर्धन डेयरी इकाई) अवसारी फाटा, जिला मांछर की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन प्रसंस्करण इकाई का 20.02.2013 का दौरा किया।

दल ने 20.02.2013 को ही अंगूर हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र, पुणे का दौरा भी किया। डॉ. कुलकर्णी, वैज्ञानिक ने अंगूर हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र, पुणे की गतिविधियों पर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया।

मांस प्रतिनिधि दल का दौरा

– **मिस्र के प्रतिनिधि दल का दौरा**

चार सदस्यीय मिस्र के प्रतिनिधि दल ने 13.02.2013 को मैसर्स अल–कबीर एक्सपोर्ट प्रा.लि., रूद्राराम मंडल, जिला मेढक तथा मैसर्स फ्रिगिरियो कॉनसेर्वा एल्लाना लि0, ज़हीराबाद, जिला मेठक के मांस संयंत्रों का निरीक्षण किया।

– **मलेशियाई प्रतिनिधि दल का दौरा**

पांच सदस्यीय मलेशियाई प्रतिनिधि दल ने 13.02.2013 फ्रिजिरियो कॉनसेर्वा एल्लाना लि., ज़हीराबाद, जिला मेढक तथा मैसर्स अल–कबीर एक्सपोर्ट प्रा. लि., रूद्राराम मंडल, जिला मेढक के मांस संयंत्रों का निरीक्षण किया।

पैक–हाउसों का निरीक्षण / भौतिक सत्यापन

क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद द्वारा बागवानी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा एन. चिंतापल्ली (वी), शामीरपेट (एम), रंगारेड्डी जिला, गुम्मादीडाला (वी), गिन्नाराम मंडल, जिला मेढक, सीतमपेटा मंडल, श्रीकाकुलम जिला में स्थापित किए गए पैक–हाउसों की साझा अवसंरचना सुविधाओं का भौतिक सत्यापन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता

भारत के पूर्व में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को बांग्लादेश एवं दक्षिणी पूर्व देशों में भारतीय उत्पादों विशिष्टतया भारत के पूर्वी भाग से निर्यात का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एपीडा की योजनाएं तथा कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा विश्वविद्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता का उत्तम सामंजस्य है। क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने क्षेत्र में विभिन्न कृषि निर्यात क्षेत्रों में गुणवत्ता तथा अवसंरचना विकास हेतु तथा एपीडा के विकास कार्यक्रमों यथा एफएएस, टी ए एस,एवं एम डी ए इत्यादि के संदर्भ में सूचनाओं को उपलब्ध कराने तथा उनके प्रचार–प्रसार हेतु वैयक्तिक निर्यातकों के अतिरिक्त विभिन्न व्यापार एवं सांस्थानिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। क्षेत्रीय कार्यालय , कोलकाता ने कुल 209 प्रमाण पत्र जारी किए जिनमें 19 आर सी एम सी, 16 आर सी ए सी, 58 टी ए एस आवेदन, 165 टी एस पुर्न–अनुदेश थे तथा 839 आगंतुकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।

संगोष्ठी, बैठकें तथा कार्यशालाएं :

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में 24 संगोष्ठियों, बैठकों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया। ये कार्यक्रम जागरूकता का प्रसार करने वाले तथा निर्यात पर केन्द्रित विषयों पर आयोजित किए गए तथा संभावित निर्यातकों को सहायक महाप्रबंधक, एपीडा, वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग संघों यथा पी एफ आई विभाग एवं बागवानी आई सी सी, ए पी आई सी ओ एल, सी आई आई, एफ आई ई ओ, पी एच डी परिसंघ तथा बी सी के वी विश्वविद्यालय इत्यादि के पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया।

साझा अवसंरचना परियोजना अ) बिधाननगर, सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग, प0 बंगाल में 'अन्ननास हेतु उपजोत्तर संचालन सह नीलामी केन्द्र' परियोजना समाप्त हो चुकी है तथा 2013 मौसम के दौरान यह प्रचालन हेतु उद्यत थी। ब) शिओराफुल्ली, जिला हुगली में पश्चिम बंग कृषि विपणन निगम, प0 बंगाल सरकार द्वारा आलू के फ्लेक्स (भूसी) प्रसंस्करण की एक परियोजना स्थापित की जा रही थी। स) जिला बोलनगीर, ओडिशा के तितलागढ़ मे सब्जियों हेतु एकीकृत पैक–हाउस को एपीडा द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इस पर कार्य प्रगति पर है।

क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

एपीडा, गुवाहाटी ने व्यापार संबंधी विभिन्न विषयों यथा ' एक्सिम नीति ' कार्य–प्रणाली, उत्पाद प्रोत्साहन तथा अर्न्तराष्ट्रीय क्रेताओं को नियमित रूप से संबोधित किया है। क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी ने वर्ष 2012–13 के दौरान अधिसूचित उत्पादों हेतु निर्यातकों को 21 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किए।

जैविक कृषि

– एपीडा, गुवाहाटी ने निर्यातकों को इंफाल ले जाकर मुख्य सचिव श्री ओ0 नबाकिशोर के साथ उनकी एक बैठक आयोजित की तथा 10 से 13 मई, 2012 तक कृषकों एवं मणिपुर के कृषि विभाग के साथ बैठक तथा फील्ड दौरे आयोजित किए गए। कृषकों ने जैविक कृषि की विधियों को अपनाने हेतु रूचि दिखाई।

– असम में जैविक कृषि पर विचार विमर्श हेतु श्री नीलमणि सेन देका, माननीय कृषि मंत्री, असम ने क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी को आमंत्रित किया। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में जैविक कृषि हेतु राज्य सरकार ने कई कदम उठाएं हैं तथा प्रारंम्भिक तौर पर इसके लिए 50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने एपीडा से संगोष्ठियां तथा क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित करने का भी अनुरोध किया।

पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी क्रेताओं का दौरा

– एपीडा ने अक्टूबर, 2012 में इटली के जैविक उत्पादों के आयातकों के एक प्रतिनिधि दल हेतु सिक्किम का दौरा आयोजित किया। पूर्वोत्तर में सिक्किम वह राज्य है जहां जैविक कृषि को अत्याधिक प्रोत्साहित किया जाता है। एपीडा द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों, कृषकों तथा व्यापारियों के साथ एक बैठक तथा फील्ड दौरे का आयोजन किया गया जिसने आगंतुकों के लिए राज्य से जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु नए आयाम खोले ।

– एपीडा ने यू एस ए के लाल चावल आयातकों का दौरा धीमाजी जिले में आयोजित किया । धीमाजी के जिलाधिकारी ने आगंतुकों का स्वागत किया एवं उनके लिए फील्ड दौरा आयोजित किया। माननीय कृषि मंत्री, असम तथा कृषि उत्पादन आयुक्त ने भी आगंतुकों से मुलाकात की। आगंतुक चावल की गुणवत्ता से पूर्णरूपेण संतुष्ट रहे तथा इससे क्षेत्र से अमेरिका को लाल चावल के भविष्य में होने वाले निर्यात के नये आयाम खुल सके। असम में चावल की विभिन्न किस्में तथा चिपचिपे अथवा ग्लूटिनियस चावल, जादुई चावल अथवा मृदु चावल तथा सुगन्धित चावल जिसे जोहा चावल कहा जाता है , उगाई जाती हैं तथा एपीडा अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में इन सभी किस्मों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयासरत है।

विभिन्न भू सीमा शुल्क स्थलों पर निर्यातकों के साथ बैठकें

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भू सीमा शुल्क स्थलों पर निर्यात करते समय, निर्यातकों द्वारा सामना की जा रहीं कठिनाईयों को समझने हेतु श्री ए एस रावत, महाप्रबंधक, एपीडा के नेतृत्व में एपीडा

अधिकारियों के एक दल ने 9 से 12 अगस्त, 2012 को विभिन्न भू–सीमा शुल्क स्थलों का दौरा किया। दल ने निर्यातकों, भू सीमाशुल्क अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। अवसंरचना की कमी, परिवहन सेवाओं में कठिनाईयां, विकिरण प्रमाणपत्र तथा पादप–स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को समय पर प्राप्त करना इत्यादि कुछ समस्याओं का निर्यातकों ने विशेष रूप से उल्लेख किया।

संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं

– क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थानों तथा आई सी सी, सी आई आई, एफ आई ई ओ, असम कृषि विश्वविद्यालय एवं आई आई पी द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं मे भाग लिया जहाँ कार्यालय द्वारा निर्यात संबंधी विषयों, एपीडा की योजनाएं, अन्तर्देशीय परिवहन सहायता योजना तथा निर्यात विकास फंड इत्यादि पर प्रस्तुतीकरण दिए गए।

– पूर्वोत्तर क्षेत्र से अदरक एवं संतरे के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु , एपीडा ने राज्य बागवानी विभाग के साथ मिजोरम एवं मेघालय के कृषकों हेतु उपज पूर्व तथा उपजोत्तर प्रबंधन को सुग्राही बनाने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया। इन दो कृषि उत्पादों हेतु इसी तरह के कार्यक्रम सिक्किम, असम तथा अरूणाचल प्रदेश में भी संचालित किए जाने की योजना है।

अवसंरचना विकास

लेंगपुई विमानतल, टर्मिनल भवन, आइज़ोल, मिज़ोरम में एएसआईडीई तथा एपीडा द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त चलित शीत भंडारण कक्ष का स्थापना कार्य समाप्त हो चुका है। क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी ने इकाई का 08.03.2013 को निरीक्षण किया तथा इसका शुभारंभ माननीय संसदीय सचिव, बागवानी विभाग, मिज़ोरम सरकार द्वारा किया गया।